

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 130

अनुयाय श्री गोपी वंगरा पिता/पति श्री डीला
पनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार वस्ती

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनुयाय में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री गोपी वंगरा पिता/पति डीला
निवासी शक्ति का/की हूँ/हैं।

मेरे/हमारे पटवार हल्का सतगढ़ के राजस्व ग्राम शक्ति में खाता संख्या 11
किता 1 रकबा 0.06 है, पूर्ण दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम चमार दर्ज है
जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में लटिया दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम चमार के बजाय लटिया दर्ज करवाने की कृपा
करावे।

दिनांक / /2025

हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

गोपी

रिपोर्ट पटवारी हल्का सतगढ़

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री गोपी वंगरा पिता/पति डीला निवासी
राजस्व ग्राम शक्ति पटवार हल्का सतगढ़ की जनानन्दी

प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में लटिया दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनों
जातियों एक ही श्रेणी की हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः
संशोधन किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी

Omara
26-09-25
हस्ताक्षर भू.अ.नि. लटिया

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बरसी जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक-भू.अ./2025/

दिनांक- / /2025

प्रेषित,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौड़गढ़

महोदय,

विधेय है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री गोपी बगटा पिता/पति दीया निवासी शालवा पटवार हल्का शालवा के राजस्व सां. शालवा में जमाव-शी संवत् 2070-81 की खाता संख्या 11 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम चटिया किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम चटिया का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही ध्वजित के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होना है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

(Handwritten Signature)
तहसीलदार बरसी
जिला चित्तौड़गढ़(राज.)
जिला-चित्तौड़

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक-सी.अ./2025/ 210

दिनांक-26.9/2025

निमित्त,

पटवार हल्का शालवा

विषय- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने संबंधित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एच.आर. एक्ट 1955 की धारा 100

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री गोपी बगटा पिता/पति दीया राजस्व सां. शालवा पटवार हल्का शालवा की खाता संख्या 11 में जाति/नाम दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पटवारी पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बरसी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री गोपी बगटा पिता/पति दीया की जाति/नाम चटिया एच.आर. एक्ट 1955 की धारा 100 के तहत संशोधन दर्ज करने की एकीकृत एप्ल द्वारा की जाती है। पटवार हल्का राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अंकन की पालना पेश करें।

प्रतिलिपि- तहसीलदार बरसी पालना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

उ. अ.
380
2025
26.9.25